उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 117/2017/3336जे/22-5-2017-1200(01)2017

लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर ,2017

वारण्ट

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध निम्नलिखित बन्दियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है:-

1- दीपक श्रीवास्तव पुत्र श्री श्याम नरायन
2- विमलेश दीक्षित पुत्र श्री शिवशंकर दीक्षित
3- परिणाम सिंह पुत्र श्री जगपाल सिंह
4- रामनारायन पुत्र श्री पंचम
5- विजय कुमार पुत्र श्री रामऔतार साहू
6- फैसले उर्फ अच्छे खान उर्फ मो0 अहमद पुत्र तकी उर्फ सईद

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदियों को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में वापस भेज दिया जाये।

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

संख्या-117/2017/3336जे(1)/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-43262/सामा-1(1) मानसिक बंदी/17/2017, दिनांक 06-12-2017 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in